भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3037
दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जेनेरिक औषधियों का उपयोग

3037. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागरिकों को वहनीय स्वास्थ्य देखभाल विकल्प उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के अंतर्गत जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से जेनेरिक औषधियों के उपयोग को बढ़ावा दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) स्वास्थ्य देखभाल वहनीयता पर इन कदमों के प्रभाव का ब्यौरा क्या है;
(घ) पीएमजेएवाई के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है और इस योजना के परिणामस्वरूप जेब से किए गए व्यय की कितनी राशि बचाई गई है; और
(ङ) क्या एनपीपीए द्वारा दवाओं के मूल्यों के विनियमन से महत्वपूर्ण दवाओं, विशेषकर जीर्ण बीमारियों के लिए औषधियों की लागत को कम करने में मदद मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): सरकार ने सभी को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) शुरू की है। इस योजना के तहत, ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50%-80% सस्ती दरों पर दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए देश भर में जन औषधि केंद्र (जेएके) नामक समर्पित आउटलेट खोले गए हैं। दिनांक 30.11.2024 तक देश भर में कुल 14,320 जेएके खोले गए हैं। पीएमबीजेपी के तहत, 2047 प्रकार की दवाइयों और 300 सर्जिकल्स/उपकरणों को उत्पाद टोकरी में शामिल किया गया है, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर, कैंसर-रोधी, मधुमेह-रोधी, एंटी-इंफेक्टिव, एंटी-एलर्जिक, गैस्ट्रो-इन्टेस्टाइनल संबंधी दवाएं, न्यूट्रास्युटिकल्स आदि जैसे सभी प्रमुख चिकित्सीय समूह शामिल हैं।

यह अनुमान है कि दैनिक आधार पर 10-12 लाख उपभोक्ता देश भर में फैले 14300 से अधिक जन औषधि केंद्रों से दवाओं की खरीद करते हैं। पिछले 10 वर्षों में, जेएके के माध्यम से 6462.00 करोड़ रुपये की दवाओं की बिक्री की गई है, जिससे ब्रांडेड दवाओं की तुलना में नागरिकों को अनुमानित 30,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

(घ): जैसा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री - जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) सरकार की प्रमुख योजना है जो लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों, जो भारत की आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर 40% अर्थात् 12.37 करोड़ परिवारों के अनुरूप हैं, को माध्यमिक और तृतीयक परिचर्या अस्पतालीकरण के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा। 30 नवंबर 2024 की स्थिति के अनुसार, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री - जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 36 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा, इस योजना के तहत 1.16 लाख करोड़ रुपये से अधिक के 8.39 करोड़ अस्पताली भर्ती को अनुमोदित किया गया है। पीएम-जेएवाई के तहत इलाज की लागत पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और पूर्व-निर्धारित बंडल पैकेज दर की अवधारणा से लाभान्वित होती है। तदनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि यदि ये उपचार लाभार्थियों द्वारा खुले बाजार में प्राप्त किए गए होते, तो उन्हें पीएम-जेएवाई के तहत अस्पताल में प्रवेश की लागत से कम से कम डेढ़ से दो गुना अधिक खर्च करना पड़ता। इस प्रकार, अस्पताल में भर्ती होने की लागत के संबंध में लाभार्थी की जेब से होने वाले खर्च (ओओपीई) में महत्वपूर्ण बचत हुई है। एबी पीएम-जेएवाई के तहत पात्र लाभार्थी परिवारों की राज्यवार संख्या **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न है।

(ङ): औषध विभाग (डीओपी) के तहत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) की अनुसूची-I में शामिल दवाओं की अधिकतम कीमत तय करता है। डीपीसीओ 2013 की अनुसूची-I के तहत दवाओं का उल्लेख उनकी चिकित्सीय श्रेणी के अनुसार किया गया है। गंभीर दवाओं या पुरानी बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं का विशेष रूप से अनुसूची-I में उल्लेख नहीं किया गया है। अनुसूचित दवाओं के सभी विनिर्माताओं को अपने उत्पादों की बिक्री एनपीपीए द्वारा तय की गई अधिकतम कीमत (प्लस लागू माल और सेवा कर) के भीतर करनी होती है। गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के मामले में, एक विनिर्माता अपने द्वारा शुरू की गई दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) तय करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि, डीपीसीओ 2013 के अनुसार, कोई भी विनिर्माता गैर-अनुसूचित दवा के एमआरपी में पिछले 12 महीनों के दौरान व्याप्त एमआरपी के 10% से अधिक की वृद्धि नहीं कर सकता है।

दिनांक 11.12.2024 की स्थिति के अनुसार, एनपीपीए द्वारा 926 अनुसूचित फॉर्मूलेशनों की अधिकतम कीमतें तय की गई हैं, जिनमें से 742 की अधिकतम कीमतें राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम), 2022 के तहत तय/पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनएलईएम, 2022 के तहत

कीमतों के पुनर्निर्धारण के कारण औसत मूल्य में लगभग 16.82% की कमी आई है। इसके अलावा, दिनांक 11.12.2024 की स्थिति के अनुसार, आवेदक विनिर्माता के लिए डीपीसीओ 2013 में यथा परिभाषित लगभग 3,046 नई दवाओं की खुदरा कीमत एनपीपीए द्वारा तय की गई है। इसके अलावा, एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के तहत विशेष प्रावधानों का उपयोग करके दवाओं की कीमतों को विनियमित करने के लिए अन्य उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) वर्ष 2014 में, एनपीपीए ने डीपीसीओ 2013 के पैरा 19 के तहत 106 गैर-अनुसूचित मधुमेह और हृदयवाहिका संबंधी दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत तय की, जिसमें 22 मधुमेह और 84 हृदयवाहिका संबंधी दवाएं शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप मरीजों को लगभग 350 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत हुई।

(ii) 42 चुनिंदा कैंसर रोधी दवाओं के गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशन के व्यापार मार्जिन को "व्यापार मार्जिन युक्तिकरण" के तहत तय किया गया, जिसमें 500 से अधिक ब्रांडों की दवाओं की कीमतों में औसतन लगभग 50 प्रतिशत की कमी की गई। इसके परिणामस्वरूप मरीजों को लगभग 984 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत हुई।

(iii) रोगी केंद्रित उपाय के रूप में, अगस्त 2017 में आर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण की अधिकतम कीमत तय की गई थी।

(iv) जून 2021 और जुलाई 2021 में "व्यापार मार्जिन युक्तिकरण" दृष्टिकोण के तहत ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन, नेबुलाइज़र, डिजिटल थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर की कीमत तय की गई थी। इससे उपभोक्ताओं को लगभग 1000 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत हुई।

एनपीपीए द्वारा निर्धारित कीमतों का विवरण एनपीपीए की वेबसाइट अर्थात् www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध है।

अनुलग्नक

दिनांक 13.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3037 के भाग (घ) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित अनुलग्नक

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री - जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत पात्र परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	**पात्र परिवारों की संख्या**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	23,785
आंध्र प्रदेश	61,47,562
अरुणाचल प्रदेश	98,844
असम	30,03,069
बिहार	1,21,10,525
चंडीगढ़	79,226
छत्तीसगढ	41,44,847
डीएनएच और डीडी	47,578
दिल्ली	6,54,041
गोवा	41,098
गुजरात	49,85,484
हरियाणा	17,24,837
हिमाचल प्रदेश	5,32,396
जम्मू और कश्मीर	6,70,010
झारखंड	31,18,620
कर्नाटक	69,01,440
केरल	23,97,610
लद्दाख	12,120
लक्षद्वीप	1,628
मध्य प्रदेश	93,27,963
महाराष्ट्र	93,05,910
मणिपुर	3,07,908
मेघालय	3,85,708
मिजोरम	2,16,584
ओडिशा	67,80,308
नागालैंड	2,59,468
पुदुचेरी	1,14,968
पंजाब	16,65,113
राजस्थान	66,37,371
सिक्किम	44,228

तमिलनाडु	86,48,748
तेलंगाना	29,02,621
त्रिपुरा	5,49,554
उत्तर प्रदेश	1,31,23,662
उत्तराखंड	5,97,682
पश्चिम बंगाल	1,24,37,482